राजस्थान राज्य

बनाम

मोहिनुद्दीन जमाल अली और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2464-2466/2014)

04 मई, 2016

[ए. के. सिकरी और आर. के. अग्रवाल, जे. जे.]

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987-धारा (3) (2) (ii), 3 (3), 6 (1) और 20ए-यू/एस20ए के तहत अनुमोदन की आवश्यकता।-क्या यह केवल 'जिला पुलिस अधीक्षक' है जिसकी मंजूरी यू /s.20A की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, या यह रैंक में उच्च अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है-आयोजितः'जिला पुलिस अधीक्षक' से भी उच्च पद का अधिकारी अनुमोदन देने में सक्षम नहीं होगा-तत्काल मामले में चूंकि 'जिला पुलिस अधीक्षक' की पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए टाडा अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दूषित हो गया-आरोपी बरी होने के लिए उत्तरदायी हैं-विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 -एस. 4ए.

न्यायालय द्वारा आरोपी की अपील को स्वीकार करते हुए और राज्य की अपील को खारिज करते हुए,अभिनिर्धारित किया गया :-

1. यहां तक कि रैंक में उच्च अधिकारी भी टाडा अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (1) के तहत आवश्यकतानुसार अनुमोदन देने में सक्षम नहीं होगा। [पैरा 4] [651-एफ]

2.चूंकि जिला पुलिस अधीक्षक में पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी।तत्काल मामले में, मुकदमे को इसी आधार पर दूषित कर दिया गया।दोषी व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों को उनकी दोषसिद्धि को रद्द करने की अनुमति दी जाती है।राज्य द्वारा पसंद की जाने वाली अन्य अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।(पैरा 7) (654-डी-ई)

हुसैन घडियाली @ एम.एच.जी.ए.शेख और अन्य। बनाम गुजरात राज्य (20!4) 8 एससीसी 425: 2014 (9) एससीआर 364; अनिरुद्धसिंहजी करणसिंहजी जाडेजा और अन्य। बनाम गुजरात राज्य (1995) 5 एससीसी .302: 1995 (2} अनुपूरक एससीआर 637.- पर भरोसा किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 2464-2466/2014।

राजस्थान के लिए नामित न्यायालय, अजमेर टाडा सेशन केस नं 1, 2, 3 / 1999 मे पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.04.2012 से

के साथ

आपराधिक अपील क्रमांक 464-466 / 2013

आर. के. दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस. एस. शमशेरी, ए. एएजी अजय चौधरी, मोहम्मद।इरशाद हनीफ, एन. ए. उस्मानी, आरिफ अली खान, अमित शर्मा, प्रतीक यादव, सुश्री अनु दीक्षित कौशिक, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री निधि (एस. सी. एल. एस. सी.), अमित शर्मा, प्रतीक यादव, अधिवक्ता। उनके साथ उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय, न्यायाधीश ए. के. सिकरी, जे.द्वारा पारित किया गया:-

1. ये सभी अपीलें 1999 के टाडा विशेष मामले संख्या 1,2 और 3 में अजमेर में राजस्थान के लिए नामित अदालत द्वारा दिए गए एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं।

2. चार आरोपी व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष द्वारा आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 987 (इसके बाद "टाडा अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (2) (ii), 3 (3) और 6 (1) के तहत आरोपित किया गया और मुकदमा चलाया गया।विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4ए।टाडा अदालत ने दो आरोपीों एम. जमाल अल्वी और हबीब अहमद को बरी कर दिया है।उनके दोषमुक्ति के खिलाफ, राजस्थान राज्य ने अपील दायर की है जो 2014 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 2464-66 के रूप में पंजीकृत हैं।अन्य दो आरोपी, अब्रे रहमत अंसारी @ Qari और डॉ. मोहम्मद। जलीस अंसारी को टाडा अदालत ने दोषी ठहराया है और उस दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए, इन व्यक्तियों ने 2013 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 464-466 दायर की है।यही कारण है कि हमने इन सभी अपीलों को एक साथ सुना है जिनका इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया जा रहा है।

3. दोषी ठहराए गए आरोपी व्यक्तियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. के. दास ने शुरुआत में कहा कि वह मामले के गुण -दोष में नहीं जाएंगे क्योंकि टाडा अधिनियम की धारा 20ए की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण अभियोजन विफल हो जाता है। इस कारण से, हम मामले के गुण -दोष पर किसी भी चर्चा से बच रहे हैं।धारा 20ए उस अपराध के संज्ञान से संबंधित है जिसे टाडा ए. अधिनियम के तहत लिया जाना है और निम्नानुसार हैः-

> "20-अपराध का संज्ञान।(I) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराध करने के बारे में कोई भी जानकारी पुलिस द्वारा जिला अधीक्षक पुलिस की।

(2) कोई भी अदालत पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।"

4. उपरोक्त धारा के अनुसार, टाडा के तहत अपराध करने के बारे में कोई भी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक है पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा दर्ज नहीं है जानी चाहिए।धारा 20ए की उप-धारा (एल) के तहत नामित विशिष्ट प्राधिकरण जिला पुलिस अधीक्षक है।वर्तमान मामले में, यह रिकॉर्ड में है कि जो मंजूरी ली गई थी वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री श्याम प्रताप सिंह राठौर की थी।टाडा अदालत ने उक्त मंजूरी को वैध माना है क्योंकि मंजूरी एक प्राधिकरण द्वारा दी जाती है जो जिला पुलिस अधीक्षक से अधिक है।इसलिए प्रश्न यह है कि क्या यह केवल जिला पुलिस अधीक्षक हैं जिनकी मंजूरी कानून की आवश्यकताओं को पूरा करेगी या इमें उच्च पद के अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।यह प्रश्न अब समग्र नहीं है और इस अदालत के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा सुलझा लिया गया है।उन सभी निर्णयों का हिसाब देना आवश्यक नहीं है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा Hussein Ghadially@M.H.G.A में दिए गए नवीनतम निर्णय में दिया गया है। शेख एवं अन्य। बनाम गुजरात राज्य (2014) 8 एससीसी 425। पिछले सभी उदाहरणों पर ध्यान दिया गया है और उस आधार पर, इस न्यायालय ने कानून में स्थिति को दोहराया है कि यहां तक कि उच्च रैंक वाला प्राधिकारी भी आवश्यकता के अनुसार अनुमोदन देने में सक्षम नहीं होगा। टाडा अधिनियम की धारा 21 ए की उपधारा(!) उक्त निर्णय में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है:

"21. उपरोक्त को सावधानीपूर्वक पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रावधान एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होता है और नकारात्मक वाक्यांशों में जोड़ा जाता है।यह जिला पुलिस अधीक्षक की

पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा टाडा के तहत अपराधों के बारे में जानकारी दर्ज करने से मना करता है।प्रश्न यह है कि क्या जिला पुलिस अधीक्षक में निहित अनुमोदन की शक्ति का उपयोग तत्काल मामले में सरकार या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सूरत द्वारा किया जा सकता है। इस प्रश्न का हमारा जवाब नकारात्मक मेंकारणों को खोजना दूर की बात नहीं हैः

21. हम ऐसा सबसे पहले इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिनियम अनुदान अनुमोदन को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नामित प्राधिकरण में निहित करता है।ऐसा होने पर, इस प्रकार नामित प्राधिकारी के अलावा कोई भी उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा शक्ति के प्रयोग की अनुमति देने से, चाहे वह अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से उच्चतर हो या निम्नतर, प्रावधान को फिर से लिखने और उसके पीछे के विधायी उद्देश्य को विफल करने का प्रभाव पड़ेगा-एक ऐसा मार्ग जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।एयर लाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम व्यवहार उड्डयन महानिदेशक (2011) 5 एस. सी. सी. 435 की संयुक्त कार्रवाई समिति में इस अदालत ने घोषणा की कि वरिष्ठ अधिकारी भी अधिनियम के तहत प्राधिकरण को किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए कोई दिशानिर्देश या निर्देश नहीं दे सकते हैं।

21.2. दूसरा, क्योंकि धारा 20-ए (आई) के तहत जिला पुलिस अधीक्षक में निहित शक्ति के प्रयोग में संबंधित अधिकारी द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री पर विचार करना शामिल होगा, जिसके आधार पर, केवल यह निर्णय लिया जा सकता है कि टाडा के तहत

अपराध करने के बारे में जानकारी दर्ज की जानी चाहिए या नहीं।धारा 20-ए (आई) के तहत अपनी प्रकृति में अनुमोदन देने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग संबंधित अधिकारी पर यह कर्तव्य डालता है कि वह जानकारी का मूल्यांकन करे और सभी परिचर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करे कि टाडा के प्रावधानों को लागू करने का मामला बनाया गया है या नहीं।नामित प्राधिकारी अर्थात् जिला पुलिस अधीक्षक के अलावा किसी अन्य द्वारा उस शक्ति का प्रयोग नामित अधिकारी के adhikarita में ऐसे अन्य प्राधिकरण के बराबर होगा, चाहे है अधिकारी या प्राधिकरण जो उस शक्ति का प्रयोग करने का तात्पर्य रखता हो, निर्णय लेने के लिए कानून द्वारा अधिकृत अधिकारी से रैंक और पद में श्रेष्ठ हो।

21.3. तीसरा, क्योंकि यदि अधिनियम किसी काम को एक विशेष तरीके में करने का प्रावधान करता है, तो उमें केवल उसी तरीके में किया जाना चाहिए।उस काम को करने के अन्य सभी तरीकों या तरीकों को प्रतिबंधित माना जाना चाहिए।कानून का वह प्रस्ताव पहले टेलर बनाम टेलर (875) एल. आर. 1 सी. एच. डी. 426 में कहा गया था और बाद में न्यायिक समिति द्वारा नजीर अहमद बनाम राजा सम्राट ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 253 में अपनाया गया था और इस अदालत द्वारा राव शिव बहादुर सिंह और ए. एन. आर. बनाम ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 253 सहित कई निर्णयों में अपनाया गया था।विंध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 322, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 358, चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद 1999 (8) एस. सी.

सी. 266, धनंजय रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य 2001 (4) एस. सी. सी. 9 और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम।एस्सार पावर लिमिटेड 2008 (4) एस. सी. सी. 755।उपरोक्त निर्णयों में कहा गया सिद्धांत वर्तमान मामलों पर लागू होता है, इसलिए नहीं कि कोई विशिष्ट प्रक्रिया है जो अनुमोदन के अनुदान के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई है, बल्कि इसलिए कि यदि अनुमोदन पुलिस पदानुक्रम में किसी के द्वारा दिया जा सकता है तो इस तरह के अनुमोदन के अनुदान के लिए प्राधिकरण को निर्दिष्ट करने वाला प्रावधान भी लागू नहीं किया गया होगा। "

5. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, अदालत ने अनिरुद्धसिंहजी करनसिंहजी जडेजा और अन्य बनाम गुजरात राज्य (1995)5 धारा 302, मामले में इस अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया। जिसमें कानून की स्थिति निम्नलिखित तरीके से बताई गई थीः

"11. अपीलार्थियों के खिलाफ मामला मूल रूप से शस्त्र अधिनियम के तहत 19-3-1995 पर पंजीकृत किया गया था। डी. एस. पी. ने टाडा के तहत अपराध के बारे में कोई जानकारी पंजीकृत करने के लिए अपने दम पर कोई पूर्व मंजूरी नहीं दी। इसके विपरीत, उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट दी और टाडा के तहत आगे बढ़ने की अनुमति मांगी। क्यों? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह धारा 20-ए (एल) के प्रावधान द्वारा निहित adhikarita का प्रयोग करमें के लिए अनिच्छुक था?यह एक प्राधिकरण को प्रदान की गई शक्ति का मामला है जिसका वास्तव में दूसरे द्वारा प्रयोग किया जाता है।यदि किसी वैधानिक प्राधिकरण को adhikarita के साथ

निहित किया गया है, तो उसे अपने विवेक के अनुसार इसका प्रयोग करना होगा।यदि विवेक का प्रयोग निर्देश के तहत या किसी उच्च प्राधिकारी के निर्देश के अनुपालन में किया जाता है, तो यह पूरी तरह से विवेक का प्रयोग करने में विफलता का मामला होगा।दूसरे शब्दों में इस मामले में धारा 20-ए (एल) द्वारा डीएसपी में निहित विवेकाधिकार का डीएसपी द्वारा बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया था।"

6. राजस्थान राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की कोशिश की कि खण्ड पीठ ने हुसैन घाडिअन्यली @ M.H.G.A.Shaikh और अन्य मामलों में उपरोक्त फैसले में। (सुप्रा) ने अनिरुद्धसिंहजी करणसिंहजी जडेजा और अन्र में दिए गए निर्णय की व्याख्या नहीं की। (सुप्रा) सही है उनके अनुसार, अनिरुद्धसिंहजी करनसिंहजी जडेजा और अन्य में। इस अदालत ने टाडा कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक और कारण दिया था जो उक्त निर्णय के पैरा 15 में निहित है, जैसा कि उक्त पैरा में अदालत ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने जांच अधिकारी के साथ मामले पर चर्चा किए बिना और स्वतंत्र रूप से स्थिति का आकलन किए बिना मंजूरी दी थी जो मंजूरी/सहमति देकर राज्य सरकार के उचित और उचित विवेक की कमी को दर्शाती है।उनकी प्रस्तुति ने उक्त निर्णय के पैरा 15 में भविष्यवाणी की कि अभियोजन पक्ष को केवल तभी कानूनी रूप से बुरा माना जाएगा जब दोनों पहलुओं में अभियोजक की ओर से चूक हुई हो, अर्थात् केवल तब जब धारा 20ए की उप-धारा (1) का उल्लंघन के साथ-साथ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व अनुमोदन का अनुदान नहीं है और तब भी जब राज्य सरकार ने मंजूरी/सहमति देते समय स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग नहीं लगाया है।हम राज्य के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से सहमत नहीं हैं। अनिरुद्धसिंहजी करनसिंहजी जडेजा और अन्र में निर्णय के पढ़ने से। (ऊपर), यह स्पष्ट

हो जाता है कि इस अदालत ने टाडा के तहत उक्त मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे को दूषित करते हुए उपरोक्त दो कारण दिए थे।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों कारणों को संतुष्ट करना होगा।यहां तक कि दोनों एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और भले ही एक उल्लंघन मिला जाए जो मुकदमे को परेशान करने के लिए पर्याप्त होगा।हुसैन गदियाल @ M.H.G.A.Shaikh और अन्य (सुप्रा) मामले में इस अदालत ने हौ किया।

7. उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि तत्काल मामले में जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए मुकदमे को इसी आधार पर दूषित कर दिया गया। 2013 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 464-466 होने के कारण दोषी व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों को उनकी दोषसिद्धि को रद्द करने की अनुमति दी जाती है। अन्य अपीलें जो राज्य द्वारा 2014 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 2464-2466 द्वारा की जाती हैं, उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

दो दोषियों, अर्थात् अब्रे रहमत अंसारी @ कारी और Dr.Mohd जलीस अंसारी को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, अगर उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।